

2018/00027

Adm
12/11/18

न्यायालय तहसील डार (राजस्थान) लुनकरनगर, जिला बीकानेर

सदर

का. नं. पाबुराम डार की साधु गा. 61/52

विशेष नुस्खे - कानून 1956 की धारा 13

एल. आर. एक्ट 1956 की धारा 13

नुस्खे नं.

19/18

वर्ष 2014

पत्रावली नं. 237/14

आदेश दिनांक

कार्यवाही दिनांक

बटन की

22/11/18

पत्रावली हल्का 221/

की रिपोर्ट पर पत्रावली नुस्खे की गई। मुद्रित रिपोर्ट अग्रार्थी ने

ग्राम/चक सुदामापुरा के

खसरा नं./मुर्ते 170

तारावी 0.02 हेक्टर

राजकीय भूमि पर सम्बन्ध 2014 में

नाजायज कब्जा कर कानून ली। कार्यवाही को वर्ष 2014 के तहत नोटिस जारी किया जावे। एवं नू अनितेक निहितक को पत्रावली दे दी गयी

अन्वये। पत्रावली आईन्दा दिनांक 8/2/18 को पेश हो।

8/2/18

पत्रावली पेश हुई। स्वयंसेवक साधु
उपस्थित रहे। जरा प्रश्न किए गये जका
को सुधारे मिल दिया गया। इस प्रश्न
का मर्मपत्र प्रदान के दिनांक तब तक
मिलत दिया गया।

21/11/18

12
22/11/18

पाबुराम

बनीपूर के जे.एन
107 के जमा 1994
भाग बासा की
जमी

TPA

12/11/18

न्यायालय तहसीलदार (राजस्व) लूनकरनसर

प्रकरण संख्या 19 / 2018

दिनांक: 8/2/18

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का ... ने रिपोर्ट (पी 4) प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि सम्वत 2074 में गैर सायल ... पुत्र ... जाति ... साकिन ... ने ग्राम ... के खसरा नं० ... रकबा ... बीघा जोहड़ पायतून, गोचर, चारागाह राजकिय भूमि में कनस्त/बाड़ी/कच्चा/पक्का मकान निर्माण कर नाजायज अतिक्रमण किया है।

सम्बन्धित गैर सायल का समुदाय अधि 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज कर नोटिस जारी किया गया जो बाद तामिल शामिल मिसल किया गया। संबंधित गैरसायल उपस्थित। इनके द्वारा प्रस्तुत किये गए जवाब का अवलोकन किया गया। जो कि सतोपजनक नहीं होने के कारण से सम्बन्धित गैर सायल ... पुत्र श्री ... जाति ... साकिन ... ग्राम ... खसरा नं० ... रकबा ... बीघा के अतिक्रमण करने पर राज भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के प्रावधान के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाता है तथा भू-राजस्व ... का 50 गुणा रूपये ... शरित से दण्डित किया जाता है। तथा मौके से बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं। बेदखली बाबत संबंधित गिरदावर हल्का को लिखा जावे तथा जमाना पसली बाबत हल्का पटवारी को तथा मांग कायमी बाबत ... शरित से दण्डित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 8/2/18 को खुली अदालत में लिखाया जाकर सुनाया गया।

तहसीलदार (राजस्व) लूनकरनसर